

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-16/2021 93

/कृ., राँची, दिनांक-15-01-2025

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत गन्ना विकास की योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-64 दिनांक-05.09.2024 में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0-64 दिनांक-05.09.2024

महाशय,

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ना विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-64 दिनांक-05.09.2024 द्वारा रु. 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कृषि निदेशालय द्वारा उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4(छ), 4(ट) एवं अनुलग्नक-1 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्वीकृत्यादेश के अवलोकन से कंडिका-4(ज) में भी आंशिक संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

2. उपर्युक्त के क्रम में स्वीकृत्यादेश सं0-64 दिनांक-05.09.2024 की कंडिका-4(छ), 4(ज) एवं 4(ट) को संशोधित रूप में निम्नवत पढ़ा जाय :-

कंडिका-4(छ) गन्ना कशर कड़ाह मशीन (छोटा)- राज्य में इस योजना के तहत गन्ना से गुणवत्तापूर्ण गुड़ बनाने हेतु गन्ना उत्पादन से संबंधित कृषक को प्रति इकाई अधिकतम 80% अनुदान या रु. 1.70 लाख (रुपये एक लाख सत्तर हजार) या दोनों में से जो कम हो, जो की भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित दर/कृषि निदेशालय द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार क्रय किया जाएगा। इस हेतु कुल लक्ष्य 32 इकाई के लिए रु. 54.40 लाख (चौवन लाख चालीस हजार रुपये) मात्र का व्यय किया जायेगा।

कंडिका-4(ज) गन्ना कशर कड़ाह मशीन (बड़ा)- राज्य में इस योजना के तहत गन्ना से गुणवत्तापूर्ण गुड़ बनाने हेतु गन्ना उत्पादन से संबंधित कृषक को समुह में प्रति इकाई अधिकतम 80% अनुदान या रु. 14.40 लाख (रुपये चौदह लाख चालीस हजार) मात्र या दोनों में से जो कम हो, जो की भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित दर/कृषि निदेशालय द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार क्रय किया जाएगा। इस हेतु कुल लक्ष्य 1 इकाई के लिए रु. 14.40 लाख (चौदह लाख चालीस हजार रुपये) मात्र का व्यय किया जायेगा।

कंडिका-4(ट) पर्यवेक्षण/अनुश्रवण तथा आकास्मिकताएँ- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर पर्यवेक्षण/ निरीक्षण/ अनुश्रवण, परिवहन एवं अन्य आकास्मिकताएँ मद में कुल राशि रु. 17.977 लाख (सतरह लाख सतानवे हजार सात सौ रुपये) मात्र का व्यय किया जाएगा। इस मद का व्यय IPRD दर पर किया जायेगा।

तदनुसार उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 की संशोधित प्रति संशोधित स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न है।

3. उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश में वर्णित शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
5. संशोधित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-16/2021 93

/कृ0, राँची, दिनांक- 15-01-2025

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-16/2021 93

/कृ0, राँची, दिनांक- 15-01-2025

प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/संयुक्त ईआयुक्त, राँची को मूल प्रति के अलावा संशोधित स्वीकृत्यादेश की प्रति ई-मेल पर भेजी जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-16/2021 93

/कृ0, राँची, दिनांक- 15-01-2025

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव (योजना), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/संयुक्त ईआयुक्त, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, राँची, हजारीबाग, पलामू एवं दुमका/सहायक निदेशक, गन्ना विकास, राँची, हजारीबाग, गोड्डा, साहेबगंज/नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

गन्ना विकास की योजना
वित्तीय वर्ष 2024-25

SI.	NAME ACTIVITY	UNIT COST	TSP-796		OSP-102		SCSP-789		TOTAL	
			RANCHI & SAHEBGANJ		HAZARIBAGH & GODDA		HAZARIBAG & GODDA		(Rs.in Lakh)	
			PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN
A	TRAINING									
1	WITHIN STATE TRAINING (For 3 Days)	Rs. 1000/farmers per day	33	24.75	13	9.75	8	6.00	54	40.50
2	WITHIN DISTRICT TRAINING (For 1 Days)	Rs. 400/farmers per day	35	3.72	12	1.44	6	1.20	53	6.36
B	EXPOSURE VISIT									
1	EXPOSURE VISIT INTER STATE	Rs. 1250/farmers per day	335	4.1875	160	2.00	85	1.0625	580	7.25
C	FARMERS ACTIVITY									
1	SUGARCANE BUD-CHIP SEEDLING PRODUCTION NURSERY	3 lakh Rs per 2000	47	141.00	20	60.00	8	24.00	75	225.00
2	FARMER GANNA GOSTHI	0.15	36	5.40	18	2.70	12	1.80	66	9.90
3	LCC (DISTRIBUTION OF LEAF COLOUR CHART)	0.0018	400	0.72	300	0.54	100	0.18	800	1.44
4	DEMONSTRATION OF SUSTAINABLE SUGARCANE FARMING	1	59	59.00	30	30.00	15	15.00	104	104.00
D	FARM IMPLEMENTS									
1	SETS OF SUGARCANE CRUSSHER KARAH MACHINE @ 80 % SUSIDY AMOUNT OR MAXIMUM SUBSDY 1.70 LAKH PER SET WHICH EVER THE LESS	1.7 lakh/ karah (permissible unit cost)	22	37.40	10	17.00	0	0.00	32	54.40
2	SETS OF BIG SUGARCANE CRUSSHER KARAH MACHINE @ 80 % SUSIDY AMOUNT OR MAXIMUM SUBSDY 14.4 LAKH PER SET WHICH EVER THE LESS	14.4 lakh/ karah (permissible unit cost)	0	0.00	1	14.40	0	0.00	1	14.40
3	LOW COST PUBLI CATION (LEAFLETS/ PRINTING PUMLETS AT IPRD RATE			9.00		5.523		0.25		14.773
4	ELECTRONIC MEDIA/ SHORT VIDEO(SAFALTA KI KAHANI KISANO-KI JUWANI)	0.25 (as per IPRD rate)	8	2.00	8	2.00	0	0.00	16	4.00
5	SUPERVISION/MONITORING/ CONTIGENCY	Estimated cost (Actual expenditure as per bill)		12.8225		4.647		0.5075		17.977
Total (in Lakhs)			975	300.00	572.00	150	234	50	1781	500

93
15-01-2025

सरकार के सचिव।